

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 22nd July, 2010.

Notification
(INCOME-TAX)

S.O. Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O.193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Krishna Developers Private Limited having its registered office at 508, Gundecha Chamber, Nagindas Master Road, Fort, Mumbai- 400 023, is developing an Industrial Park at Corporate Centre IT Park, Corporate Centre, CTS No. 271, Village Kondivite, Andheri (E), Mumbai-400 059;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/31/2004-IP&ID dated 02-12-2004 and later amended vide letter No. 15/31/2004-IP&ID dated 05-05-2005 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Krishna Developers Private Limited, Mumbai, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Krishna Developers Private Limited, Mumbai.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Krishna Developers Private Limited
- (ii) Proposed location : Corporate Centre IT Park,
Corporate Centre, CTS No. 271,
Village Kondivite, Andheri (E),
Mumbai-400 059

(iii) Area of Industrial Park : 1 4203.08 Square Meters

(iv) Proposed activities

Nature of Industrial activity with NIC code					
NIC Code					Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	8	89	892	-	Data processing, software development and computer consultancy services
B	8	89	893	-	Business and management consultancy activities
C	8	89	894	-	Architectural and engineering and other technical consultancy activities
D	3	36	367	-	Manufacture of computers and computer based systems

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : ninety per cent.
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : ten per cent.
- (vii) Minimum number of industrial units : thirty six Units

(viii) Total investments proposed : Rs. 23,95,00,000/-
(Amount in Rupees)

(ix) Investment on built up space : Rs. 14,00,00,000/-
for Industrial use
(Amount in Rupees)

(x) Investment on Infrastructure : Rs. 18,39,16,310/-
Development including
investment on built up space
for industrial use
(Amount in Rupees)

(xi) Proposed date of : 22-01-2004
commencement of the
Industrial Park

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than fifty per cent. of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than sixty per cent. of the total project cost.
3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.
4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park and for this purpose a unit shall mean any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.
5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.
6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Paragraph 1, sub-paragraph (vii) of this notification, are located in the Industrial Park.
7. M/s. Krishna Developers Private Limited, Mumbai, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in paragraph 1, sub-paragraph (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002 or any other Industrial Park Scheme as may be applicable, for availing benefits under clause (iii) of sub-section 4 of section 80IA of the Income Tax Act, 1961.
9. The approval will be invalid and M/s. Krishna Developers Private Limited, Mumbai, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if
- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information or misinformation or some material information has not been provided in it;
 - (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.
10. In case M/s. Krishna Developers Private Limited, Mumbai, transfers the operation and maintenance of the industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.
11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed.
12. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Krishna Developers Private Limited, Mumbai, fails to comply with any of the conditions.
13. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 61/2010 F.No. 178/142/2009-ITA-I]



(PADAM SINGH)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक २२ जुलाई, 2010

अधिसूचना

(आयकर)

का.आ. जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जिसे बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 193 (अ) के तहत 01 अप्रैल, 1997 को शुरू होने वाली एवं 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तथा 01 अप्रैल 1997 को शुरू होने वाली एवं 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 01 अप्रैल, 2002 द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना निर्मित एवं अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 508, गुंडेचा चैम्बर, नागिनदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुम्बई- 400023 में है, कॉरपोरेट सेंटर आईटी पार्क, कॉरपोरेट सेंटर, सीटीएस सं. 271, कोन्डीविटे गांव, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 02/12/2004 के पत्र संख्या 15/31/2004-आईपी एवं आईडी तथा जिसे बाद में दिनांक 5/5/2005 के पत्र सं. 15/31/2004-आईपी एवं आईडी) द्वारा संशोधित किया गया था, के द्वारा उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उपक्रम जो कि मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित तथा प्रचालित किया जा रहा है, को उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्ते जिन पर मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, मुम्बई द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित अवस्थान : कॉरपोरेट सेंटर आईटी पार्क, कॉरपोरेट सेंटर, सीटीएस सं. 271, कोन्डीविते गांव, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्र : 14203.08 वर्गमीटर
- (iv) प्रस्तावित कार्य-कलाप

एन आईसी संहिता के साथ औद्योगिक कार्य-कलाप की प्रकृति					
एनआईसी कोड					विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	वर्ग	
क	8	89	892	-	आंकडा संसाधन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं संगणक परामर्शी सेवाएं,
ख	8	89	893	-	व्यापार एवं संबंधन परामर्शी कार्य-कलाप
ग	8	89	894	-	वास्तु एवं इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी परामर्शी कार्य-कलाप
घ	3	36	367	-	संगणकों एवं संगणक आधारित तंत्रों का विनिर्माण

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए उद्दिष्ट आबंटन योग्य क्षेत्रफल की प्रतिशतता : 90 प्रतिशत
- (vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए उद्दिष्ट आबंटन योग्य क्षेत्रफल की प्रतिशतता : 10 प्रतिशत
- (vii) औद्योगिक एककों की न्यूनतम संख्या : 36 एकक
- (viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रु. में) : 23,95,00,000/- रूपए
- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित क्षेत्र पर निवेश (राशि रूपए में) : 14,00,00,000/- रूपए
- (x) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित क्षेत्र पर निवेश सहित अवसंरचना विकास पर निवेश (राशि रूपए में) : 18,39,16,310/- रूपए
- (xi) औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि : 22-01-2004

2. एक औद्योगिक पार्क के अवसंरचनात्मक विकास पर होने वाला न्यूनतम निवेश परियोजना की कुल लागत के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। औद्योगिक उपयोग हेतु निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने वाले किसी औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की लागत सहित अवसंरचनात्मक विकास पर होने वाला न्यूनतम व्यय परियोजना की कुल लागत के साठ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

3. अवसंरचनात्मक विकास में सड़के (पहुंच सड़कों सहित), जलापूर्ति एवं मल व्ययन, समान बहिःस्वावी उपचार सुविधा, टेलीकॉम नेटवर्क, विद्युत का उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा औद्योगिक कार्य-कलाप हेतु समान प्रयोग के ऐसी अन्य सुविधाएं जिनका पता लगाया जा सकता है तथा जो वाणिज्यिक शर्तों पर उपलब्ध हैं।

4. दिनांक 01 अप्रैल, 2002 के का.आ. 354 (अ) के अनुच्छेद 6 के उप-अनुच्छेद (ख) में दी गई सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कोई भी एकक किसी औद्योगिक पार्क के आबंटन योग्य औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र नहीं लेगी तथा इस प्रयोजनार्थ एक एकक का आशय एक तथा अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई पृथक एवं निश्चित संस्था से है।

5. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अस्थाई रूप से लागू किए गए किसी कानून के तहत विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अप्रवासी भारतीय निवेश के लिए अनुमोदन सहित आवश्यक अनुमोदन लागू की गई नीति एवं प्रक्रियानुसार अलग से लिए जाएंगे।

6. अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ तब ही उपलब्ध होंगे जब कि इस अधिसूचना के अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (vii) में उल्लिखित एककों की संख्या में एकक औद्योगिक पार्क में अवस्थापित होंगे।

7. मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखना चाहिए जिसमें कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) के तहत लाभ लिये जाने हों।

8. यदि औद्योगिक पार्क का आरंभ इस अधिसूचना के अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (xi) में उल्लिखित तिथि से एक वर्ष से अधिक विलंब होता है तो ऐसे मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) के तहत लाभों को पाने हेतु औद्योगिक पार्क योजना, 2002 अथवा अन्य किसी औद्योगिक पार्क योजना जैसा भी लागू हो के तहत अनुमोदन को दोबारा लेना अपेक्षित होगा।

9. अनुमोदन अमान्य होगा तथा मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ऐसी अमान्यता की किसी भी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे, यदि-

- (i) आवेदन, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने अनुमोदन दिया है, में गलत सूचना अथवा मिथ्या जानकारी दी गई है अथवा कुछ वस्तुगत सूचना इसमें नहीं दी गई है:-

(ii) यह औद्योगिक पार्क के अवस्थान के लिए है जिसके लिए अनुमोदन पहले ही किसी अन्य उपक्रम के नाम पर दिया जा चुका है।

10. यदि मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई (अर्थात् अंतरक उपक्रम) द्वारा औद्योगिक पार्क के प्रचालन एवं अनुरक्षण का अंतरण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम), को किया जाता है तो ऐसे मामले में, अंतरक एवं अंतरिती को संयुक्त रूप से औद्योगिक सहायता सचिवालय के उद्यमी सहायता एकक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 को सूचित करना चाहिए तथा साथ ही उपर्युक्त अंतरण हेतु अंतरक एवं अंतरिती उपक्रम के बीच किए गए करार की प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

11. इस अधिसूचना में तथा औद्योगिक पार्क योजना, 2002 में उल्लिखित शर्तों का भी उस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए जिस अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभों को उठाया जाना हो।

12. मैसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई द्वारा किसी भी शर्त का अनुपालन न किए जाने के मामले में केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है।

13. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना प्लान में किसी संशोधन के होने अथवा भविष्य में अभिज्ञान होने अथवा किसी वस्तुगत तथ्य को आवेदक द्वारा प्रकट न कर पाने पर औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अमान्य हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 61/2010 फा.सं. 178/142/2009-आई टी ए-1)]

पदम सिंह

(पदम सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के पास),

नई दिल्ली।